

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 22, अक्टूबर, 2014

क्रमांक एफ 3-10/2014/10-1: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समुख अंकित (कॉलम क.-4) नवीन पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :—

स.क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री पंकज सिंह <i>(61)</i>	वनक्षेत्रपाल, राजधानी परियोजना, भोपाल	उप व0मं030 उत्तर हरदा (सा0) हरदा (सा0) व0मं0
2	श्री सुनील कुमार गुप्ता <i>(61)</i>	व0क्षे0 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, ग्वालियर	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)
3	श्री विजय कुमार गुप्ता <i>(61)</i>	प0अ0 टाणडा(सा0) धार (सा0) वन मंडल	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)

2/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा -6 की उपधारा (1) के उपबंधो का पूर्ण संज्ञान है।

राज्यपाल
4/5/10

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अशोक कुमार शर्मा)
उप संचिक

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-10/2014/10-1
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 22, अक्टूबर, 2014

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं भू-अभिलेख) म.प्र., भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र., भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन। एवं ॥) म.प्र., भोपाल।
7. संबंधित मुख्य वन संरक्षक, म.प्र।
8. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
9. निज सचिव, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
11. संबंधित अधिकारी
द्वारा— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन— ।) म. प्र. भोपाल। पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण हेतु एक माह की समयावधि में आप अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं
12. गार्ड फाइल।
13. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र./प्रशा.-1/रा.व.से./ 4935

भोपाल, दिनांक 2-10-14

प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त भोपाल/होशंगाबाद/ग्वालियर/इन्दौर, म0प्र0।
3. मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त ग्वालियर, म0प्र0
4. मुख्य वन संरक्षक, राजधानी परियोजना, भोपाल।
5. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, हरदा/धार, म0प्र0।

की ओर म.प्र. शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-10/2014/10-1
दिनांक 22.10.2014 के पालन में संबंधित अधिकारियों को प्रति उपलब्ध कराते हुये
रथानीय व्यवस्था से तत्काल भारमुक्ति कर, भारमुक्ति/उपस्थिति प्रतिवेदन से
अवगत कराने का लालू करें।

(पी0को चौधरी)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-1)

मध्य प्रदेश, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक २३ सितम्बर, 2014

क्रमांक एफ ३-१०/२०१४/१०-१ : राज्य शासन एतद द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को रथानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये १५६००-३९१००+५४०० ग्रेड-पै में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समुख अंकित (कॉलम क्रं.-४) नवीन पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :—

सं. क्रं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री वीरेन्द्र सिंह यादव <i>(Cr.)</i>	गोमरेज, नरसिंहगढ़ राजगढ़(सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
2	श्री केऽबी० गुप्ता <i>(Cr.)</i>	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उत्तर पन्ना(सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना
3	श्री ए०क० श्रीवास्तव <i>(Cr.)</i>	प०आ० उदयनगर, देवास(सा०) व०मं०	संलग्न अधिकारी, इन्दौर वृत्ति कार्गलिय इन्दौर
4	श्री राजीव श्रीवास्तव <i>(Cr.)</i>	प०आ० पूर्व रायसेन रायसेन(सा०) व०मं० व०मं०	उप व०गं०३१०, सुल्तानपुर (सा०), औबेदुल्लागंज(सा०) व०मं०
5	श्री वृन्दावन लाल वर्मा <i>(Cr.)</i>	प०आ०, शाहगढ़, उत्तर सागर(सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
6	श्री इन्द्रभान गुप्ता <i>(Cr.)</i>	प०आ०, विरसा उत्तर बालाघाट(सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
7	श्री मनोज कुमार सिंह भदौरिया <i>(Cr.)</i>	प०आ०, चिकलौद, औबेदुल्लागंज(सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
8	श्री रघुवर सिंह, गहरवार <i>(Cr.)</i>	प०आ०, बैठन, सिंगरोली(सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
9	श्री सुनील कुमार सिन्हा <i>(Cr.)</i>	प०आ०, बड़वारा, कटनी(सा०) व०मं०, व०मं०	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
10	श्री अरुण कुमार महाले <i>(Cr.)</i>	प०आ०, कन्हान, दक्षिण छिन्दवाड़ा(सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल

112//

2/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ, रोस्टर पंजी मे कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 रन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये उन्नीसों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

APCCF (A1) AII 2
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

23.9.14
(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 2014

प्रमुख संप्रभाल

पृ. क्रमांक एफ 3-10 / 2014 / 10-1
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं भू-अभिलेख) म.प्र., भोपाल।
 5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र., भोपाल।
 6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल।
 7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम भोपाल।
 8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन। एवं।।) म.प्र., भोपाल।
 9. संबंधित मुख्य वन संरक्षक, म.प्र।
 10. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
 11. निज सचिव, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, गंत्रालय, भोपाल।
 12. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
 13. संबंधित अधिकारी.....
 14. द्वारा— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन—।।) म. प्र. भोपाल। पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण हेतु एक माह की समयावधि में आप अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं
 गार्ड फाईल।
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



23.9.14
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

वन संस्थान कक्ष
गोपनीय कक्ष

29/10/14

मध्यप्रदेश शासन
वल्लभ भवन
मंत्रालय, वन विभाग भोपाल-462004
॥ आदेश ॥

भोपाल, दिनांक 08 जुलाई, 2014

क्रमांक एफ 3-10/2014/10-1 : राज्य शासन एतद द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में, सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित (कॉलम-4) नवीन पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री हरीश कुमार सोनी	वन क्षेत्रपाल अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, जबलपुर	सहायक/वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, जबलपुर

2/ उपरोक्त अधिकारी का अनुक्रमांक पदस्थापना की दृष्टि से है, वरिष्ठता सूची के अनुसार नहीं है।

3/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण ज्ञान है।

मध्यप्रदेश (भा.)

श.०००५५

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-1)

प.प., भोपाल

(अशोक कुमार शर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

635
9/7/14

.....निरन्तर - 2

1/81
11-7-2014

//2//

पृ. क्रमांक एफ 3-10 / 2014 / 10-1

भोपाल, दिनांक 08 जुलाई, 2014

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, गवालियर
2. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर
3. प्रेधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं भू-अभिलेख) म.प्र.भोपाल
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन 1 एवं 2) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल
6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, वृत्त..... म.प्र.
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वन म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल
8. विशेष सहायक, माननीय वन मंत्री जी भोपाल
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, भोपाल
10. संबंधित अधिकारी श्री

द्वारा—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र., भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित


उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वल्लभ भवन
मंत्रालय, वन विभाग भोपाल-462004
॥ आदेश ॥

भोपाल, दिनांक 03 जुलाई, 2014

क्रमांक एफ ३-१०/२०१४/१०-१ :: राज्य शासन एतद द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये १५६००-३९१००+५४०० ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित (कॉलम-४) नवीन पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री के.एस.खैनवार <i>(६.)</i>	प.अ.खिरकिया डिपो, हरदा (उत्पा.) व.मं.	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
2.	श्री एन.डी.शर्मा <i>(६.)</i>	प.अ., उड़नदस्ता, भोपाल (सा.) व.मं.	उप व.मं.अ., जगमण्डल (सा.), पूर्व मण्डला (सा.) व.मं.
3.	श्री रमेश कुमार सिंह <i>(६.)</i>	प.अ., लाडकुई सीहोर (सा.) व.मं.	सहायक वन संरक्षक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकारी, भोपाल

2/ उपरोक्त अधिकारियों के अनुक्रमांक पदस्थापना की दृष्टि से हैं, वरिष्ठता सूची के अनुसार नहीं है।

3/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण ज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा अदेशानुसार



(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

//2//

पृ. क्रमांक एफ 3-10/2014/10-1

भोपाल, दिनांक 03 जुलाई, 2014

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, गवालियर
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नर्मदा धाटी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं भू-अभिलेख) म.प्र.भोपाल
6. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
7. संचालक, नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण, अरेरा हिल्स, भोपाल
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन 1 एवं 2) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल
9. संबंधित मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, वृत्त..... म.प्र.भोपाल
10. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वन म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल।
11. विशेष सहायक, माननीय वन मंत्री जी भोपाल
12. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, भोपाल
13. संबंधित अधिकारी श्री

द्वारा—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र., भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

उमीर
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014

कमांक एफ 3-10/2014/10-1 : राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.07.2014 द्वारा स.क.-1 पर श्री के.एस. खैनवार, वन क्षेत्रपाल, प.अ.. खिरकिया डिपो, हरदा (उत्पा.) व.म. को राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत कर सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल में पदस्थि किया गया है, को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

2/ श्री के.एस. खैनवार, वन क्षेत्रपाल, प.अ.. खिरकिया डिपो, हरदा (उत्पा.) व.म. वर्तमान पद पर यथावत पदस्थि रहें।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17.10.14
(वर्वीता वसुनिया)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014


पृ.क्र. एफ 3-10/2014/10-1

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित :-

1. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल। कृपया श्री खैनवार, वनक्षेत्रपाल के विरुद्ध जारी आरोप पत्र के संबंध में प्रकरण की अद्यतन स्थिति एवं तथ्यों की सही स्थिति प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में संबंधित मुख्य वन संरक्षक व स्थापना प्रभारी से स्थिति स्पष्ट कराते हुए अपने अभिमत के साथ प्रतिवेदन प्रेषित करने का अनुरोध है।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-1 एवं प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संबंधित मुख्य वन संरक्षक, होशंगाबाद वन संरक्षक, वृत्त, म.प्र।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
7. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
9. निज सचिव, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
11. संबंधित अधिकारी श्री के.एस. खैनवार, वनक्षेत्रपाल प.अ.. खिरकिया डिपो, हरदा (उत्पा.) व.म.
12. द्वारा - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-1) म.प्र., भोपाल। गार्ड फाइल।

17.10.14
अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग



मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 26, जून, 2014

क्रमांक एफ 3-10/2014/10-1 : राज्य शासन एतद द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुये उनके नाम के समुख दर्शाये गये पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है:-

अनु.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री जे०एस० राठौर <i>6.</i>	प०आ० राजगढ़, राजगढ़(सा)वन मंडल	सहायक वन संरक्षक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल
2.	श्री व्ही०के० पाण्डेय <i>6.</i>	प०आ०, बरगी जबलपुर (सा०)वन मंडल	सहायक वन संरक्षक, न्यायालयीन प्रकोष्ठ जबलपुर
3.	श्री पी०के० त्रिपाठी <i>6.</i>	वनक्षेत्रपाल, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल	उप च०म०अ० वरमान नौरादेही (वन्य प्राणी) व०म० सागर
4.	श्री नरसिंह बघेल <i>7।३।५९ ५.</i>	वनक्षेत्रपाल, कार्य आयोजना, इन्दौर इकाई	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल

2/ उपरोक्त अधिकारियों के अनुक्रमांक पदस्थापना की दृष्टि से हैं, वरिष्ठता सूची के अनुसार नहीं है।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण ज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

१४५०
२५/६/१५

रुद्रानाथ
(बबीता वसुनिया)

अवसर सचिव

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग

प्र.मु.वन

प.पा.

// 2 //

पृ.क्र. एफ एफ 3-10/2014/10-1

भोपाल, दिनांक 26, जून, 2014

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित :-

1. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं भू-अभिलेख) म.प्र., भोपाल।
4. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मानव संसाधन विकास) म.प्र., भोपाल।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्य प्राणी) म.प्र., भोपाल।
7. संबंधित मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, वृत्त म.प्र.।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
9. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
10. निज सचिव, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
12. संबंधित अधिकारी श्री
द्वारा— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र., भोपल।
13. गार्ड फाइल।

A-1


अवेर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग


कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र./प्रशा.-1/रा.व.से./ ३५५७

भोपाल, दिनांक 30-6-2014

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 भोपाल।
 2. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल।
 3. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/सागर म0प्र0।
 4. वन संरक्षक, कार्य आयोजना, इन्दौर इकाई, इन्दौर म0प्र0।
 5. संचालक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल।
 6. वनमण्डलाधिकारी, (सा.) व.म. राजगढ़/जबलपुर/नीरादेही (वन्यप्राणी) वन मण्डल सागर म0प्र0।
- की ओर अग्रेषित कर लेख है कि कृपया म.प्र. शासन, वन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 3-10/2014/10-1 दिनांक 26-6-2014 की प्रति संबंधित अधिकारियों को सौंप कर स्थानीय व्यवस्था से तत्काल भारमुक्त कर, भारमुक्ती/उपरिथिती प्रदिवेदन से अवगत कराने का काट फरे।


(सुनील अग्रवाल)
मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-1)
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 26.02.2014

कमांक एफ 3-10/2014/10-1 राज्य शासन, एतद द्वारा निम्नाकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15000-39100+5400 ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

अक	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री ए०के० शुक्ला	प०अ० कन्नौद, देवास (सा०) व०म०	सहायक वन संरक्षक, रालामण्डल डिप०, इन्दौर (सा०) व०म०
2.	श्री ए०एन. नाथ	प०अ०, रमपुरा, नीमच (सा०) व०म०	उप व०म०अ०, पूर्व कालीभीत (उत्पा०), खण्डवा (उत्पा०) व०म०
3.	श्री अशोक कुमार शर्मा	डिप० अधिकारी, हरई, छिन्दवाड़ा (उत्पा०) व०म०	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन, भोपाल
4.	श्री वी०के० श्रीवास्तव	प०अ० समरधा, भोपाल (सा०) व०म०	स०व०स०, कार्या० प्र०म०व०स०, भोपाल
5.	श्री जे०के० जैन	प०अ० खालवा, खण्डवा (सा०) व०म०	सहायक वन संरक्षक, म०प्र० राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल
6.	श्री पी०के० रजक	प०अ० कन्नौधी, दक्षिण शहडोल (सा०) व०म०	उप व०म०अ०, सिल्लेवानी (उत्पा०), रायसेन (उत्पा०) व०म०
7.	श्री आर०के० एस० चदेल	प०अ० मडवास, रीधी (सा०) व०म०	अनुदेशक, वन विद्यालय, गोविन्दगढ़, रीवा
8.	श्री जी०के० चन्द	प०अ० ग्वालियर, ग्वालियर (सा०) व०म०	संलग्न अधिकारी, ग्वालियर (सा०) व०म०
9.	श्री राजीव दुबे	प०अ० बैठन, सिगरौली (सा०) व०म०	सहायक वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विरतार वृत्त, रीवा
10.	श्री नरेन्द्र सिंह	प०अ० देवेन्द्रनगर, उत्तर पन्ना (सा०) व०म०	सहायक वन संरक्षक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी
11.	श्री ए०के० जैन	इकाई प्रभारी (सफारी), वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल	संलग्न अधिकारी, भोपाल वृत्त कार्यालय
12.	श्री एस०के० यादव	प०अ० शिकारा (उत्पा०), उत्तर सिवनी (उत्पा०) व०म०	सहायक वन संरक्षक, म०प्र० राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल
13.	श्री ए०पी० सिंह	प०अ० डिण्डोरी, डिण्डोरी (सा०) व०म०	उप व०म०अ०, बरेला (उत्पा०), मण्डला (उत्पा०) व०म०
14.	श्री बी०पी० शर्मा	प०अ० रत्लाम, रत्लाम (सा०) व०म०	सहायक वन संरक्षक, म०प्र० राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल
15.	श्री विपिन कुमार सिंह	व०क्ष०, विशेष कर्तव्य, झावुआ (सा०) व०म०	अनुदेशक, वन विद्यालय, शिवपुरी
16.	श्री बी०पी० तिवारी	प०अ० बरेला, पर्शिम मण्डला (सा०) व०म०	इंचार्ज, टाईगर स्ट्राइक फार्म, जबलपुर
17.	श्री आर०टी० सनागो	व०क्ष०, कार्य आयोजना, छतरपुर	सहायक वन संरक्षक, ईको टूरिज्म वोर्ड, भोपाल

४३२

18.	श्री ए०एस० चौहान	प०अ० बीनागंज, गुना (सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, चम्बल अभ्यारण्य, मुरैना (सा०) व०मं०
19.	श्री पी०के० खत्री	प०अ० चंदेरी, अशोकनगर (सा०) व०मं०	अनुदेशक, इन्दिरा गांधी प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी
20.	श्री जाम सिंह मुवेल	प०अ० पुनासा, खण्डवा (सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन, भोपाल
21.	श्री जी०पी० धूरिया	व०क्षे०, कार्य आयोजना, सिवनी	उप व०मं०अ०, छपारा (उत्पा०), उत्तर सिवनी (उत्पा०) व०मं०
22.	श्री प्यार सिंह ठाकुर	प०अ० बड़वानी, बड़वानी (सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, म०प्र० राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल
23.	श्री राकेश लहरी	प०अ० बनभवन, भोपाल (सा०) व०मं०	उप व०मं०अ०, शाजापुर (सा०), शाजापुर (सा०) व०मं०
24.	श्री प्रदीप कुमार कछावा	प०अ० सैलाना, रतलाम (सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल
25.	श्री अन्तर सिंह औहरिया	व०क्षे०, विशेष कर्तव्य, इन्दौर (सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्ता, झाबुआ
26.	श्री सूरज सिंह सेन्द्रयाम	व०क्षे०, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मण्डला	सहायक वन संरक्षक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया

2. उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम-1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

3. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों, रोस्टर पजी में कर दी गई है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्मा के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1964 (क. 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा-(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

5. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण डब्ल्यूपी. 8288 / 12 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अशोक कुमार शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-10 / 2014 / 10-1

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।

2. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।

3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 26.02.2014

//3//

5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन मू-अभिलेख), मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल।
9. सदस्य (पर्यावरण एवं वन) नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1 एवं प्रशासन-2), मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0प्र० ईको पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन, भोपाल।
13. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी वन।
14. विशेष सहायक, प्रमुख सचिव, म0प्र० शासन, वन विभाग, भोपाल।
15. संबंधित मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
16. संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
17. संबंधित अधिकारी,

द्वारा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।

५००५६१ | क्रमी
२८/११

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशा-II) म0प्र० भोपाल

26/2

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



